राजस्थान सरकार

कार्यालय अधीक्षण खनि अभियंता,खान एवं भू विज्ञान विभाग बीकानेर वृत्त बीकानेर।

क्रमांक अखअ/बीका/पीए/ 1410 दिनांक 13.09.2021

माननीय खान मंत्री महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बीकानेर संभाग की समीक्षा बैठक

(दिनांक 03.09.2021)

बैठक कार्यवाही विवरण

माननीय खान मंत्री श्री प्रमोद जैन भाया की अध्यक्षता में दिनांक 03.09.2021 को बीकानेर संभाग में खनन गतिविधियों को बढावा देने एवं नवीन खनिज नीति बनाने के परिप्रेक्ष्य में माइंस एसासिएशन्स से उपयोगी सुझाव आमंत्रित करने हेतु संभाग स्तर की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार, बीकानेर में आयोजित की गयी।

बैठक में माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री भंवरसिंह भाटी, माननीय विधायक खाजुवाला श्री गोविंदराम मेघवाल, डॉ. सुबोध अग्रवाल अतिरिक्त मुख्य सचिव खान एवं पैट्रोलियम, डॉ. के.बी. पंड्या, निदेशक खान एवं भूविज्ञान, श्री नमित मेहता, जिला कलेक्टर बीकानेर एवं संभाग के माइंस एसोसिऐशन्स बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ, चुरू के पदाधिकारी एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित हुए।

सर्वप्रथम निदेशक खान एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा मा0 खान मंत्री, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री, मा0 विधायक, अतिरिक्त मुख्य सचिव, माइंस एसोसिएशन्स के पदाधिकारियों एवं अधिकारियों का स्वागत कर इस बैठक के उद्देश्य को अवगत कराते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ कर माइंन्स एसोसिएशन्स के पदाधिकारियों द्वारा सुझाव आमंत्रित किये गये।

संभाग के **हनुमानगढ़** एवं **श्रीगंगानगर** जिले से आए पदाधिकारियों द्वारा राजस्थान राज्य में खनिज ईंट मिट्टी की वर्तमान रॉयल्टी दर अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अधिक होने का अवगत कराते हुए वर्तमान रॉयल्टी दर को कम किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

चूरू जिले के पदाधिकारी श्री कन्हैयालाल शर्मा ने आग्रह किया कि वर्तमान नियमों के अंतर्गत पट्टाधारी की मृत्यु होने पर विभाग को सूचित करना एवं नामान्तरण की कार्यवाही निश्चित समयसीमा में करने की प्रतिबद्धता को समाप्त करना या बढाया जाना चाहिए।

डीएमएफटी मद की राशि का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर पहले उन्हीं क्षेत्रों पर किया जाना चाहिए जो कि खनन प्रभावित क्षेत्र हो। उसके पश्चात राशि का उपयोग अन्यत्र किया जाने हेतु निवेदन किया।

श्री शर्मा ने पहाडी खनन क्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण उस क्षेत्र के आसपास उपलब्ध सरकारी भूमि/गोचर भूमि में वृक्षारोपण कराने की अनुमति सम्बन्धित विभाग द्वारा दिये जाने का प्रावधान किया जाने हेतु निवेदन किया।

बीकानेरः

1. बीकानेर क्ले एसोसिएशन की ओर से श्री राजेश चूरा द्वारा कोलायत क्षेत्र में खनन पट्टे आवेदन करने पर जल संसाधन विभाग से एन.ओ.सी. लिये जाने की बाध्यता को समाप्त करने हेतु निवेदन किया। उन्होनें बताया कि जल संसाधन विभाग द्वारा गंग सरोवर तालाब क्षेत्र के केचमेंट एरिया को लगभग 60 किमी तक मानते हुए खनन पट्टा स्वीकृति हेतु एन.ओ.सी. जारी नहीं की जाती जबकि इसी क्षेत्र में अन्य समस्त औद्योगिक प्रयोजनार्थ इस विभाग (जल संसाधन) की एन.ओ.सी. की आवश्यकता नहीं होती है। इस कारण इस क्षेत्र में खानों का आवंटन नहीं हो पा रहा है। इस हेतु विशेष ध्यान आकर्षित करने हेतु निवेदन किया गया।

इस सम्बन्ध में अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा एसोसिएशन के पदाधिकारी को एक प्रतिवेदन जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करने एवं अधीक्षण खनि अभियंता, बीकानेर को सम्बन्धित राजस्व रिकॉर्ड एवं वस्तुस्थिति के साथ जिला कलेक्टर से व्यक्तिगत संपर्क कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

2. बीकानेर में क्ले की खानों में ऑवरबर्डन के रूप में मिलने वाली बजरी के बारे में यह बताया गया कि यह बजरी रिवर सेण्ड नहीं है तथा इस क्षेत्र में कोई भी नदी–नाला नहीं बहता है, फिर भी इनके खनन पट्टे हेतु पर्यावरण विभाग से ई.सी. जारी नहीं होने से बीकानेर जिले में खनिज बजरी के 70 से अधिक मंशा पत्र स्वीकृति हेतु लंबित है। इस सम्बन्ध में मंशापत्र धारकों द्वारा अपने स्वयं के स्तर पर प्रयास किया गया है किन्तु समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। शासन स्तर से उचित कार्यवाही/समाधान हेतु आग्रह किया गया।

3. कोलायत तहसील में लिग्नाईट पूर्वेक्षण हेतु आरक्षित क्षेत्रों को तत्काल अनारक्षित किये जाने का आग्रह किया गया ताकि अन्य खनिजों के खननपट्टे जारी किये जा सके।

4. कोलायत तहसील में अवस्थित कपिल सरोवर में जलकुम्भी की सफाई हेतु होने वाला व्यय डीएमएफटी मद से किये जाने हेतु आग्रह किया गया जिस पर अति. मुख्य सचिव महोदय द्वारा इस सम्बन्ध में समुचित निर्णय डीएमएफटी की मैनेजिंग कमेटी/गवर्निंग काउंसिल में लिया जाने हेतु जिला कलेक्टर बीकानेर को कहा गया।

5. खनन पट्टे स्वीकृति हेतु जारी मंशापत्रों में पर्यावरण स्वीकृति 18 माह में प्रस्तुत करने का नियम है परन्तु पर्यावरण स्वीकृति आवेदन करने के पश्चात भी पर्यावरण विभाग द्वारा निर्धारित अवधि मे पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं की जा रही है जिस पर मंशापत्र धारक को नियमों के अंतर्गत शास्ति भुगतान किये जाने का प्रावधान है जबकि आवेदन के पश्चात पर्यावरण विभाग से ई.सी. विलंब से जारी होने में मंशापत्र धारक का कोई दोष नहीं होता है अतः ऐसे प्रावधान को समाप्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

6. नीलामी से आवंटित किये जाने वाले खनन पट्टा क्षेत्रों में अन्य विभागों से सम्बन्धित समस्त औपचारिकताएं/अनापत्तियां खान विभाग द्वारा ही पूर्ण करवाई जाकर नीलामी किये जाने हेतु प्रावधान करने का निवेदन किया गया।

7. बीकानेर जिले में खनिज आधारित उद्योगों के विकास हेतु प्राकृतिक गैस पाईप-लाईन उपलब्ध करवाने हेतु आग्रह किया गया जिस पर माननीय खान मंत्री महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि यह कार्य प्राथमिक तौर पर केन्द्र सरकार के अधीन होने से वस्तुस्थिति स्थानीय सांसद महोदय के ध्यान में लाते हुए केन्द्र सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए समुचित कार्यवाही किया जाना उचित होगा जिससे सार्थक परिणाम प्राप्त हो सके। माननीय खान मंत्री महोदय ने राज्य सरकार द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक प्रयास किये जाने हेतु आश्वस्त किया।

8. खान आवेदकों को खान आवंटन एवं संचालन हेतु अन्य विभागों से भी अनापत्ति/सहमति लेनी पडती है जिसमें वांछित पूर्तियां पूर्ण करने के उपरांत भी संबंधित विभाग द्वारा प्रकरण निस्तारित नहीं किये जाते हैं या अनावश्यक विलंब किया जाता है। इस सम्बन्ध में आग्रह किया गया कि प्रत्येक कार्य में विभाग को निस्तारण हेतु उचित समयावधि निर्धारित की जानी चाहिए। इस संबंध में अति.मुख्य सचिव महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि ऐसे प्रकरणों में राज्य सरकार के "Ease of doing business" पॉर्टल पर आवेदन किया जाये।

9. खनन उद्यमियों द्वारा विभागीय ई-रवन्ना पोर्टल पर मल्टी-मिनरल रवन्ना/टी.पी. जारी करने का भी प्रावधान करने का सुझाव दिया गया।

10. खनिज जिप्सम के लिए खातेदारी भूमि में परमिट के नए आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने हेतु विज्ञप्ति जारी करने का निवेदन किया गया जिस पर अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय द्वारा इस संबंध में शीघ्र ही समुचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।

माननीय मंत्री श्री भंवरसिंह भाटी एवं माननीय विधायक श्री गोविंदराम मेघवाल द्वारा भी उपरोक्त समस्याओं एवं सुझावों को नई खनिज नीति में समावेशित करते हुए नियमों में सरलीकरण करने का माननीय खान मंत्री से आग्रह किया गया।

अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय एवं निदेशक महोदय द्वारा भी यह आश्वस्त किया गया कि आज प्राप्त हुए सभी समस्याओं एवं सुझावों पर अमल कर यथोचित समाधान कराने के प्रयास किये जाएंगे।

माननीय मंत्री महोदय द्वारा बैठक के दौरान प्राप्त सभी सुझावों/समस्याओं पर आश्वस्त किया कि राज्य में रोजगार में वृद्धि, खनिज विकास एवं संरक्षण एवं राजस्व में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए उनके उपयुक्त सुझावों को नवीन खनिज नीति में समावेशित करते हुए नियमों में सरलीकरण किया जाने का यथासंभव प्रयास किया जावेगा।
अंत में बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

(राजीव चौधरी)
अधीक्षण खनि अभियंता
बीकानेर वृत्त बीकानेर

क्रमांक अखअ/बीका/पीए/ 1411 - 20 दिनांक 13.09.2021

निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1.निजी सचिव,माननीय खान मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2.निजी सचिव,माननीय उच्च शिक्षा मंत्री,राजस्थान सरकार, जयपुर।
3.निजी सचिव,अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग,राजस्थान जयपुर।
4 श्रीमान निदेशक,खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान,उदयपुर।
5.निजी सचिव, संभागीय आयुक्त बीकानेर।
6.श्रीमान जिला कलेक्टर, बीकानेर
7.श्रीमान अतिरिक्त निदेशक (खान) जोधपुर।
8.श्रीमान अतिरिक्त निदेशक (भू-विज्ञान) बीकानेर।
9.खनि अभियंता बीकानेर /श्रीगंगानगर
10.सहायक खनि अभियंता चूरू/ हनुमानगढ

(राजीव चौधरी)
अधीक्षण खनि अभियंता
बीकानेर वृत्त बीकानेर